राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2018 — जयपुर दिनांकः– 4/2/2019

परिपत्र

विषय :—राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.12.2018 व स्मरण पत्र दिनांक 25.01.2019 के माध्यम से समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र आहूत होने के उपरान्त या बजट प्रस्तुत करने से सात दिवस पूर्व विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय में विलम्ब से पहुंचने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि "वर्तमान में पन्द्रहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र की बैठक दिनांक 10.02.2019 तक के लिए स्थगित की गई है, जो पुनः दिनांक 11.02.2019 से प्रारम्भ हो रही है और उक्त सत्र में ही लेखानुदान प्रस्तावित है। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, बजट सत्र के दौरान ही मा0 सदस्यों के उपयोगार्थ होते हैं तथा चर्चा में ही माननीय सदस्यों द्वारा उपयोग में लिये जाते हैं। **अतः वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2019 से होने वाले लेखानुदान के उपरान्त आगे आने वाले सत्र, जिसमें बजट पर चर्चा की जानी है, में, सत्र आहूत होने के उपरान्त या बजट प्रस्तुत करने से सात दिवस पूर्व विधानसभा को** 31 दिसम्बर 2018 तक की सूचना/आंकड़े प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए 325 प्रतियां विधानसभा को, 5 प्रतियां वित्त (आय–व्ययक) विभाग, एक–एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय संसद सदस्यों को एवं एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कृपया प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

4/2/19

(डॉ0 राजेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.1(7)(3) साशा/विस/2018/6885 दिनांक 31.01.2019 के क्रम में।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. रक्षित पत्रावली।

5/2/2019
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव